



I/60674/2023

9-HRB140/2023-CHA

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ / Regional Office, Chandigarh

Ministry of Environment
and Climate Change

F. No.: 9-HRB140/2023-CHA



Dated: December, 2023

सेवा में ,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन),
हरियाणा सरकार,
हरियाणा सिविल सचिवालय,
चण्डीगढ़ 160001 (fcforest@hry.nic.in)

विषय:- Diversion of 0.4830 ha of Forest land for construction of 400 KV D/C Transmission line from Sikar-Neemrana through various strip forest under forest Division & District Mahendergarh, Haryana.(Online Proposal No. FP/HR/TRANS/145733/2021)-reg

संदर्भ अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा सरकार के पत्र FCA/e-851602/2272 दिनांक 20.11.2023.

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय से संदर्भांकित पत्र का अवलोकन करें, जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा- 2 के अधीन केन्द्रीय सरकार की अनुमति मांगी गई है। इस प्रस्ताव में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक **07.08.2023** द्वारा **सैद्धांतिक स्वीकृति** प्रदान की गई थी जिसकी अनुपालना रिपोर्ट नोडल अधिकारी (FCA), पंजाब सरकार के पत्र FCA/e-851602/2272 दिनांक 20.11.2023. (**ऑनलाइन पोर्टल**) द्वारा प्राप्त होने के उपरान्त केन्द्र सरकार द्वारा उपर्युक्त उद्देश्य हेतु **0.4830** हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग हेतु **विधिवत स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान की जाती हैं:-

- i. वन भूमि की विधिक स्थिति बदली नहीं जाएगी।
- ii. काटे जाने वाले बाधक वृक्षों/पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा
- iii. प्रतिपूर्ति पौधारोपण राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सीए योजना के अनुसार **Reserve Forest Duloth, Mahendergarh** में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त धनराशि से किया जायेगा।
- iv. प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए।
- v. राज्य सरकार प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि को गैर वानिकी कार्यों के लिए हस्तान्तरण से पूर्व स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण (CA) क्षेत्र की **KML** फाइल को भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) के **E-Green Watch** पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेगी।
- vi. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।
- vii. प्रस्तावित संचरण लाइन के लिए रास्ते के अधिकार "की अधिकतम चौड़ाई वन भूमि पर **46** मीटर होगी।
- viii. प्रत्येक कंडक्टर के नीचे टेंशन सटरिंगिंग उपकरण लगाने के लिए **3.0** मीटर की चौड़ी पट्टी में निकासी की अनुमति दी जायेगी। परन्तु सटरिंगिंग कार्य खत्म होने पर प्राकृतिक सम्पोषण होने दिया जायेगा।
- ix. कंडक्टर तथा पेड़ों के बीच का फासला कम से कम **5.5** मीटर होना चाहिए। कंडक्टरों के झुकाव तथा झोल को ध्यान में रखा जायेगा। बिजली की निकासी बनाये रखने के लिये जब कभी आवश्यक होगा तो पेड़ों की काट छांट का कार्य स्थानीय वन मण्डल अधिकारी की अनुमति से किया जायेगा।
- x. प्रयोक्ता एजेंसी जंगली जानवरों को बिजली के करंट से बचाने के लिए आवश्यक ग्राउंड क्लियरेंस के अलावा उचित स्थानों पर सर्किट ब्रेकर स्थापित करेगी।
- xi. प्रयोक्ता एजेंसी अपनी लगत परपक्षियों को तारों से टकराने से बचाने के लिए उपयुक्त अंतराल पर ट्रांसमिशन लाइन के उपरी कंडक्टर पर पक्षी डिफ्लेक्टर (Bird deflectors) लगाएगी।
- xii. प्रयोक्ता एजेंसी राज्य वन विभाग से विचार-विमर्श करके संचरण लाइन के नीचे मार्गाधिकार में छोटे कद के पौधों, मुख्य रूप से औषधिय पौधों के रोपण, सृजन व रख-रखाव की विस्तृत योजना तैयार करेगी तथा उक्त योजना के निष्पादन के लिए राज्य वन विभाग को धन राशि उपलब्ध करायेगी।

बेज नं. 24-25, सेक्टर-31 ए, चंडीगढ़-160030 / **Bays No. 24-25, Sector-31 A, Chandigarh-160030**
दूरभाष/Tel No : 0172-2638061 **Fax No : 0172-2638135 Email : ronz.chd-mef@nic.in**

- xiii.** जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जायेगी तो उस बढ़ाई हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी |
- xiv.** प्रयोक्ता एजेंसी वन क्षेत्रों में से ट्रांसमिशन लाइन बिछाने हेतु दिशा-निर्देशिका Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarification, 2019) के Chapter 10 के तहत जारी दिशा निर्देश का अनुपालन करेगी|
- xv.** साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और वन भूमि को बचाने के लिये सभी प्रयत्न किये जायेंगे |
- xvi.** प्रयोक्ता एजेंसी अपनी लगत पर पक्षियों को तारो से टकराने से बचाने के लिये उपयुक्त अंतराल पर ट्रांसमिशन लाइन के उपरी कंडक्टर पर पक्षी डिफ्लेक्टर (Bird deflector) लगाएगी |
- xvii.** सम्बंधित वन मण्डल अधिकारी के निर्देशानुसार, परिवर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आवश्यकतानुसार जमीन पर सीमांकित किया जाएगा |
- xviii.** परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन हेतु वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा|
- xix.** इस अनुमोदन के तहत डायवर्सन की अवधि प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में की जाने वाली पट्टे की अवधि या परियोजना का कार्यकाल, जो भी कम हो, के साथ सहमीयादी (Co-terminus) होगी |
- xx.** स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा |
- xxi.** केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा |
- xxii.** अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीव का संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास के लिए समय – समय पर लगाई जा सकती है |
- xxiii.** सक्षम प्राधिकारी अनुमति को रद्द कर सकता है, यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का पालन संतोषप्रद नहीं है| राज्य सरकार वन विभाग के माध्यम से उपरोक्त शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगी |
- xxiv.** यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी व राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी |

3. मंत्रालय इस स्वीकृति को स्थगित/रद्द कर सकता है यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं है। राज्य सरकार वन विभाग के माध्यम से इन शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगी ।

यह पत्र सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरांत जारी की जा रही है |

भवदीय
-sd-

(राजा राम सिंह)
उप-वन महानिरीक्षक(केन्द्रीय)
RO, MoEF&CC,
Chandigarh

प्रतिलिपि:-

1. वन महानिरीक्षक (ROHQ), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग, अलीगंज, नई दिल्ली | (ramesh.pandey@nic.in).
2. The Principal Chief Conservator of Forests, Government of Haryana, Forest Department Haryana, Van Bhawan, Sector-6, Panchkula, Haryana.(pccf-hry@nic.in).
3. The Nodal Officer (FCA), Government of Haryana, Forest Department Haryana, Van Bhawan, Sector-6, Panchkula, Haryana. (cffcpachkula@gmail.com).
4. The Divisional Forest Officer, Forest Division and District Mahendergarh, Haryana. (dfomgarh@yahoo.co.in).
5. The Executive Engineer, Sikar New Transmission Limited. (ppchaurasia@powergrid.in).